

अनुदान संख्या 31 – वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2731,99,00		
		2732,05,00	2038,30,99	-693,74,01
पूरक	Supplementary	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			687,09,55
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	16886,02,00		
		105010,03,00	104730,00,00	-280,03,00
पूरक	Supplementary	88124,01,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			280,03,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	4292.00		
पू.	S.	1.00	5662.93	5438.54
पु.	R.	1369.93		-224.39

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving-
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	13439.00			
			11318.89	10941.98	-376.91
पु.	R.	-2120.11			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	87500.00			
पू.	S.	2.00	54441.13	54441.16	+0.03
पु.	R.	-33060.87			
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	94.00			
पू.	S.	1.00	17737.11	17737.10	-0.01
पु.	R.	17642.11			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	3.00			
पू.	S.	1.00	12000.00	12000.00	..
पु.	R.	11996.00			
मुख्य शीर्ष "3465"	Major Head "3465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	166501.00			
पू.	S.	1.00	102000.00	102000.00	..
पु.	R.	-64502.00			

(I) ₹102502.50 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹102500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – अन्य बीमा स्कीमें” –

(क) “आम आदमी बीमा योजना को सरकार का अंशदान” – ₹35000.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसी में अव्ययित शेष की उपलब्धता होने एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्कीम का अंतरण होने के कारण थे।

(ख) “प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम को अंशदान” – ₹5000.00 लाख – भारतीय जीवन बीमा निगम से दावों की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “3465” – “सामान्य वित्तीय संस्थान – आरक्षित निधि को अंतरण – सुरक्षा मोचन निधि” – ₹62500.00 लाख भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार संबंधी मुद्दे में सदस्यता की वजह से सुरक्षा मोचन निधि को निधियों के अंतरण के विघटन के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2070” – “निर्देशन और प्रशासन” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “ऋण वसूली अधिकरण” – ₹1447.02 लाख की बचत (₹10929.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, चंडीगढ़, इलाहाबाद और दिल्ली स्थित कार्यालय के किराया अनुबंध को अंतिम निर्णय न लिए जाने और ई-डीआरटी के ई-फाइलिंग मोड्यूल के अंतिम रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹102502.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2017) remained wholly unutilised under five heads; of these ₹102500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Other Insurance Schemes”-

(a) “Government's Contribution to Aam Aadmi Bima Yojana” - ₹35000.00 lakhs - due to availability of unspent balances with the implementing agency and transfer of the scheme to Ministry of Labour and Employment.

(b) “Contribution to LIC of India under Pradhan Mantri Jan Dhan Bima Yojana (PMJDY)” - ₹5000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Life Insurance Corporation of India.

(B) Major Head “3465” - “General Financial Institutions - Transfer to Reserve Fund - Security Redemption Fund” - ₹62500.00 lakhs - due to discontinuation of transfer of funds to Security Redemption Fund towards subscription in the Rights issue of equity shares of State Bank of India.

(II) Under Major Head “2070” - “Direction and Administration” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Debts Recovery Tribunals (DRTs)” - saving of ₹1447.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10929.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of rent agreement of offices located at Chandigarh, Allahabad and Delhi and e-filing module of e-DRT.

(खा) “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान” – ₹1050.00 लाख की बचत (₹2510.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3465” – “सामान्य वित्तीय संस्थान – सामान्य वित्तीय संस्थानों को सहायता – नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को सहायता” के अंतर्गत ₹4001.00 लाख की बचत (₹104001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम और मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से स्टैंड अप इंडिया का किए जा रहे प्रचार और जागरूकता अभियान की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39955.56 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में ₹6.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(I) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – वित्तीय सेवाएं विभाग” – ₹1369.93 लाख। वास्तविक व्यय, तथापि, ₹1145.54 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत पेंशन” –

(का) “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने संबंधी स्वावलंबन स्कीम” – ₹342.79 लाख। वास्तविक व्यय, तथापि, ₹342.82 लाख था।

(खा) “वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्लान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भगुतान” – ₹5325.00 लाख।

(गा) “अटल पेंशन योजना” – ₹1271.34 लाख।

(B) “Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)” - saving of ₹1050.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2510.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(III) Under Major Head “3465” - “General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)” - saving of ₹4001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹104001.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to publicity and awareness campaign of the scheme of PMMY and Stand- Up India being done through MUDRA Ltd.

2. The above savings were partly (₹39955.56 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹6.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 - under the following major heads:

(I) Major Head “2052” - “Secretariat - Department of Financial Services” - ₹1369.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹1145.54 lakhs.

(II) Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Pension under Social Security Schemes” -

(A) “Swavalamban Scheme to encourage people from unorganized sector to join National Pension System (NPS)” - ₹342.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹342.82 lakhs.

(B) “Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens” - ₹5325.00 lakhs.

(C) “Atal Pension Yojana (APY)” - ₹1271.34 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष “2416” – “राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अंशदान” – ₹17649.00 लाख।

(IV) मुख्य शीर्ष “2885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थान – औद्योगिक वित्तीय संस्थान को सहायता – विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन” – ₹11998.50 लाख।

(V) मुख्य शीर्ष “3465” – “सामान्य वित्तीय संस्थान – सामान्य वित्तीय संस्थानों को सहायता” –

(का) “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को वित्तीय सहायता” – ₹999.50 लाख।

(खा) “माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड को वित्तीय सहायता” – ₹999.50 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

(III) Major Head “2416” - “National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) - Contribution to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)” - ₹17649.00 lakhs.

(IV) Major Head “2885” - “Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Financial Institutions - Redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)” - ₹11998.50 lakhs.

(V) Major Head “3465” - “General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions”-

(A) “Financial Support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI)” - ₹999.50 lakhs.

(B) “Financial Support to Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Limited” - ₹999.50 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4416” कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head “4416” Investments in Agricultural Financial Institutions			
मू.	O.	356800.00		
पू.	S.	29200.00	388000.00	388000.00
पु.	R.	2000.00		..

कुल अनुदान वास्तविक व्यय बचत—
Total Actual Saving—
grant expenditure

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “4885”	Major Head “4885”				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	100001.00			
पू.	S.	1.00	70000.00	70000.00	..
पु.	R.	-30002.00			

(I) ₹28001.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹21200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹28000.00 लाख (₹21200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष “4416” के अंतर्गत “सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए सरकार का अंशदान” के अंतर्गत मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्राप्ति न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष “4885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थान में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड को इक्विटी समर्थन” के अंतर्गत ₹40000.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम इक्विटी समर्थन प्रदान करने के सरकारी निर्णय की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39998.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹29201.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(I) Provision of ₹28001.00 lakhs (including supplementary grant of ₹21200.00 lakhs obtained in December, 2017) remained wholly unutilised under two heads; of these ₹28000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹21200.00 lakhs) alone accounted for under Major Head “4416” - “Investments in Public Sector and Other Undertakings - Contribution of Government's share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs)” - due to non-receipt of Cabinet approval.

(II) Under Major Head “4885” - “Investments in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Equity Support to India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL)” - saving of ₹40000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to Government decision to provide less equity support.

4. The above savings were partly (₹39998.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹29201.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष “4416” – “सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – नाबार्ड के शेयर पूंजी को अंशदान” – ₹30000.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष “4885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थान में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी के लिए अंशदान” – ₹9998.00 लाख।

(I) Major Head “4416” - “Investments in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to share capital of NABARD” - ₹30000.00 lakhs.

(II) Major Head “4885” - “Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to the share capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)” - ₹9998.00 lakhs.
